



2026:AHC:161999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25976 सन् 2026

महमूद

@

चिन्का

..... आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संतोष कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान की बात सुनी।
- यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 398 सन् 2025, धारा 103(1), 115(2), 333, 351(3), 352 और 64(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन सजेती, जिला कानपुर नगर में मुकदमे की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में है और आरोप के अनुसार उसने मृतक, जो 90 वर्षीय महिला थी, के घर में प्रवेश करने के बाद उस पर हमला किया, जिसके कारण उसे चोटें आईं, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले की एफ.आई.आर. 01.12.2025 को धारा 115(2), 351(3), 333 बी.एन.एस. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, लेकिन जब छह दिन बाद मृतक की मृत्यु हो गई तो मामले को धारा 103(1) और 64(1) बी.एन.एस. के तहत अपराधों में परिवर्तित कर दिया गया।
- इसके बाद उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि 02.12.2025 को मृतक के पुत्र ने पुलिस के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि आवेदक ने मृतक पर यौन हमला करने का प्रयास किया और उसके बाद बलात्कार किया, जिसके कारण उसके गुप्तांग पर चोटें आईं और इसलिए, एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद सूचनाकर्ता पक्ष ने एक नई कहानी गढ़ी और यह तथ्य फिर से इंगित करता है कि आवेदक निर्दोष है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार उस समय कथित मारपीट और बलात्कार की कथित घटना के समय, मृतक का बेटा घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन प्रथम दृष्टया उसकी उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि मृतक अलग रहता था।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में पहले आवेदक और सूचनादाता पक्ष के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था और इसलिए, घटना के बाद आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ कोई ठोस और स्वीकार्य सबूत नहीं है, जो उसे इस अपराध से जोड़ सके।

9. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को गुप्तांग सहित कई चोटें आई थीं, लेकिन शव परीक्षण सर्जन के अनुसार भी उसकी मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका और आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखा गया था, हालांकि आज तक आंतरिक अंगों की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन चूंकि इस बात का कोई आरोप या सबूत नहीं है कि आवेदक ने मृतक को कोई जहरीला पदार्थ दिया था, इसलिए उसे मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

10. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 07.12.2025 से यानी लगभग आठ महीने से जेल में है।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्य बेहद परेशान करने वाले हैं क्योंकि यह दर्शाता है कि पहले आवेदक ने बलात्कार किया और उसके बाद मृतक की हत्या की, जो 90 वर्षीय महिला थी।

12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि मृतक की मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका और उसके आंतरिक अंग सुरक्षित रखे गए, लेकिन उसे कई चोटें आई थीं, जिनमें जननांगों पर भी चोटें शामिल थीं। आवेदक अपने झूठे आरोप के लिए कोई ठोस कारण नहीं बता सका, इसलिए मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है और उसकी जमानत आवेदन खारिज कर दी जानी चाहिए।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

14. आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। आरोप के अनुसार, उसने 90 वर्षीय महिला मृतक के घर में घुसकर उस पर हमला किया और उसके साथ बलात्कार किया, और उन्हें उसे बुरी तरह पीटा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

15. इसके अलावा, मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि उसे कई चोटें आई थीं और यहां तक कि उसके गुप्तांग पर भी चोटें आई थीं। इसलिए, मृतक की चोट रिपोर्ट और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करती है, जहां तक यह यौन उत्पीड़न और मृतक को चोट पहुंचाने से संबंधित है।

16. इसके अलावा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मृत्यु चोटों के कारण नहीं हुई थी और उसके आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखा गया था, हालांकि आज तक आंतरिक अंगों की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है और न ही ऐसा कोई आरोप या सबूत है कि आवेदक ने मृतक को कोई जहरीला पदार्थ दिया था, लेकिन मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आवेदक पर धारा 64(1) बी.एन.एस. के तहत अपराध के लिए चालान भी किया गया है, इस न्यायालय के विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

17. तदनुसार, यह जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

4 अगस्त, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।